

कार्यालय जिला बोर्ड शिक्षा अजमेर, राजस्थान

पत्र सं. 313/अ.प्र.अ.1/12/वि.प्र.2025

दि. 29/12/2025

वि.प्र.अ.1/12/वि.प्र.2025

सेवा सं.

प्र.प्र.अ.

कोलंबस इन्टरनेशनल स्कूल, सियादर, बलिया।

विद्यार्थियों और अभिभावकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 के अंतर्गत के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010 के विद्यार्थी 15 के अंतर्गत (4) के अंतर्गत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।
महोदय/महोदया

आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पर्याप्त रूप से परामर्श/विचारण के प्रति निर्देश से मैं कोलंबस इन्टरनेशनल स्कूल, सियादर, बलिया को दिनांक 29-12-2025 में दिनांक 29-12-2025 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कक्षा नववी से कक्षा 12 तक अंतिम वर्ष के अनन्तरित मान्यता का प्रदान करने की संवृत्ता देता हूँ:-

उपरोक्त संवृत्ति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है:-

1. मान्यता की संवृत्ति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी बच्चे को कक्षा 8 के बाद मान्यता/संवृत्ति देने के लिए कोई कस्यता दिव्यित नहीं है।
2. विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपधारा 1) और निशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 (उपधारा-2) के उपधारा 1 का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नववी कक्षा में), उस बच्चे में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, उक्त संवृत्ति पूरा हो जाने तक समर्थ करेगा।
4. वेतन क्षेत्र में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के उपधारा 1 के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरितियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. विद्यालय/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक को नाला-रिहा या संस्थाक को किसी रजिस्ट्रिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का संवृत्त न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपधारा 1 का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रवेश देगा।
i. प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में प्रवेश नहीं किया जाएगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।
iii. प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक से कोई कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
iv. प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अंतर्गत अधिलिखित किन्हीं एक अनुसूची एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
v. अधिनियम के उपधारा 2 के अनुसार निशुल्कता प्रस्ता/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है।
vi. अध्यापकों की नहीं अधिनियम की धारा 23(1) के अंतर्गत यथा अधिलिखित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यार्थी अध्यापक दिनांक प्राप्त हुए अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अधिलिखित करेंगे।
vii. अधिनियम अधिनियम की धारा 24(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट अपने जर्नलों का पालन करेगा और

Principal
Columbus International School
Nagra Rasra Road, Ballia (U.P.)

MANAGER
COLUMBUS INTERNATIONAL SCHOOL

Columbus International School

Principal


Columbus International School

6. अध्यापक स्वतः को किसी निजी अध्ययन विद्यालयों में नियुक्त नहीं करेगा।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत माध्यमों के द्वारा परीक्षाएं कराए जाएंगे।
8. विद्यालय अधिनियम की भांसी में संशोधनों/संशोधन विद्यालय के माध्यमों से किया जा सकता है। अंतिम निर्धारण के समय विद्यालय की सर्व प्रमुखताएं विद्यालयों में विद्यालय परिसर का होकर
 पूरा निर्मित होना
 क्रीडा-स्थल का होकर
 बसों की रास्ता
 प्रशासन-साह-कार्यालय-साह-मंडारामार के लिए मजदूरी
 काल और शक्तिशाली के लिए मृदा रीमालय
 प्रयुक्त सुविधा
 गिड-वे-गिड पकाने के लिए रजिस्ट्री
 सार्वजनिक पार्किंग
 अत्याधुनिक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालयों के नाम से कोई भी-संस्थाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालयों भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1980(1980 का 21) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रदत्त किसी विधि के अंतर्गत किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कांड संख्या 98 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता समन्वय शर्तों के तहत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यप्रणालियों को कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
17. संलग्न उपदण्ड के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. किसी भी प्रकार का तथ्य गोपन प्रकाश में आता है तो दी गयी मान्यता बिना नोटिस के समाप्त करने का अधिकार अवोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

भवदीय


Principal
 Columbus International School
 Nanda, Rasta Road, Ballia (U.P.)


MANAGER
 COLUMBUS INTERNATIONAL


 (उपेन्द्र कुमार)
 जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी
 Ballia

पृ0सं0: परि0/मान्यता/
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आयरशक कार्यवाही हेतु भेजित-
 1. सहायक शिक्षा निदेशक(बै0), राधाम मण्डल, आजमगढ़
 2. संचालित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जगपद-बलिया

जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी
 बलिया।